BASIC FACILITIES OF HSVP

***41 (Diary No.*14/16/623) Sh. PARMOD KUMAR VIJ (Panipat City)**

Will the Chief Minister be pleased to state:-

a) whether the basic facilities of HSVP like storm water, cleaning, sewerage and water supply are under the different departments in Panipat;

b) whether the said facilities are running smoothly; if so, the details thereof;

c) the resources available with the HSVP in Panipat for execution of cleaning and other works togetherwith the details thereof;

d) whether these facilities could be shifted to any single department; and

e) if so, the time by which these facilities are likely to be shifted to single department?

REPLY

Sh. Manohar Lal, Chief Minister, Haryana

a) Yes, Sir.

b) Yes, Sir. The services which are with the HSVP Panipat are running smoothly.

c), d) & e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement referred to in the reply to the Starred Assembly Question No.*41 (Diary No.*14/16/623) asked by Sh. Parmod Kumar Vij (Panipat City), MLA - "Basic Facilities of HSVP"

HSVP has developed Sectors-6, 7, 8, 11, 12, 13-17, 18, 24, 25P-I, 25P-II, 29P-I & 29P-II, 40 in Urban Estate, Panipat. Thereafter, all the services (except water supply and sewerage) of Sectors-6, 11, 12, 13-17, 25P-I, 25P-II, 29P-I & 29P-II were transferred to Municipal Corporation, Panipat and these services are being maintained by Municipal Corporation, Panipat. Further, water supply and sewerage services of the above mentioned Sectors including raw water works, 21 MLD CETP (Ph-I) and 21 MLD CEPT (Ph-II) in Sector-29 P-II are being maintained by HSVP. In addition to above, all the services in Sector-7-8, 18, 24 and 40 (Part) are being maintained by HSVP. Also, 0.80 MLD STP in Sector-6 and 30MLD STP in Sector-19 (near Village Bhainswal) are being maintained by HSVP.

Water supply is being maintained by HSVP partially through the field staff and partially through contractual agencies. Other services (with HSVP) are being maintained by HSVP through contractual agencies.

It is pertinent to mention here that as per HSVP's mandate, the services cited above are to be maintained by HSVP for a period of 10 years after completion of development works in the Sector, since HSVP charges maintenance cost for services for a period of 10 years only. Thereafter, the services are to be maintained by Urban Local Bodies Department.

It is possible to shift maintenance of all these services to single agency, that is, Municipal Corporation, Panipat. Such proposal is likely to be implemented within 3 to 6 months after the approval by Hon'ble Chief Minister, Haryana.

NOTE FOR PAD

Starred Assembly Question No.*41 (Diary No.*14/16/623) asked by Sh. Parmod Kumar Vij (Panipat City), MLA - "Basis Facilities of HSVP"

The Development Plan-2021 of Panipat was notified by Haryana Govt. (Town & Country Planning Department) vide notification No. CCP (NCR)/FDP/PN/PCA/2006/3936 dated 18.12.2006. As per this Development Plan, 42.53% area is proposed to be used under residential category while 24.10%, 7.37%, 3.74%, 4.18% is proposed to be utilized for industrial, transport & communication, commercial and public & semi-public use respectively. Balance area is earmarked for public utilities, open spaces and special zone.

HSVP has already developed Sectors-6, 7, 8, 11, 12, 13-17, 18, 24, 25P-I, 25P-II, 29P-I & 29P-II, 40 as per the Development Plan of Urban Estate Panipat. After completion of development works and after maintaining various services for more than 10 years, all the services (except water supply and sewerage) of Sectors-6, 11, 12, 13-17, 25P-I, 25P-II, 29P-I & 29P-II were transferred from HSVP to Municipal Corporation, Panipat and since then, these services are being maintained by Municipal Corporation, Panipat. Further, water supply and sewerage services of the above mentioned Sectors including raw water works, 21 MLD CETP (Ph-I) and 21 MLD CEPT (Ph-II) in Sector-29 P-II are still being maintained by HSVP. In addition to above, all the services in Sector-7-8, 18, 24 and 40 (Part) are being maintained by HSVP. Also, 0.80 MLD STP in Sector-6 and 30MLD STP in Sector-19 (near Village Bhainswal) are being maintained by HSVP.

Water supply is being maintained by HSVP partially through the field staff and partially through contractual agencies. Other services (with HSVP) are being maintained by HSVP through contractual agencies.

It is pertinent to mention here that as per HSVP's mandate, the services cited above are to be maintained by HSVP for a period of 10 years after completion of development works in the Sector, since HSVP charges maintenance cost for services for a period of 10 years only. Thereafter, the services are to be maintained by Urban Local Bodies Department. The same is being followed at Gurugram and Faridabad. At Gurugram maintenance of all the internal water supply, sewerage, storm water drainage and roads of the Sectors is with Municipal Corporation and master services, that is, external water supply, sewerage, storm water drainage and master roads are with GMDA. Similarly, at Faridabad the internal services (water supply, sewerage, storm water drainage and roads) of all Sectors (except Sector-75 to 89) are being maintained by Municipal Corporation, Faridabad while the external services, that is, master services (water supply, sewerage, storm water drainage and roads) are being maintained by FMDA. In Sector-75 to 89, water supply, sewerage, storm water drainage and roads are being maintained by FMDA except for some portion wherein some of the sewerage lines are being maintained by HSVP. The process of transfer of these sewerage lines from HSVP to FMDA shall be initiated shortly.

It is possible to shift maintenance of all these services to single agency, that is, Municipal Corporation, Panipat. Such proposal is likely to be implemented within 3 to 6 months after the approval by Hon'ble Chief Minister, Haryana.

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की मूलभूत सुविधाएं

तारांकित प्रश्न *41 (डायरी संख्या *14/16/623) श्री प्रमोद कुमार विज, विधायक (पानीपत सिटी):

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या पानीपत में एच.एस.वी.पी. की मूलभूत सुविधाएं जैसे स्टॉर्म वाटर, जलापूर्ति, सफाई, सिवरेज विभिन्न विभागों के अंतर्गत हैं;

(ख) क्या उक्त सुविधाएं सुचारु रूप से चल रही हैं; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) सफाई व अन्य कार्यों के निष्पादन के लिए पानीपत में एच.एस.वी.पी. के उपलब्ध संसाधन क्या हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सुविधाएं किसी एक विभाग को स्थानांतरित की जा सकती हैं; तथा

(ड) यदि हां, तो उक्त सुविधाओं को कब तक विभाग को स्थानांतरित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा

(क) हाँ, श्रीमान् जी।

(ख) हाँ, श्रीमान् जी। जो सेवाएं पानीपत में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.) के कार्यक्षेत्र में हैं, वे सुचारू रूप से चल रही हैं।

(ग),(घ),(ड.) एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

तारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या *41 (डायरी संख्या *14/16/623) - प्रमोद कुमार विज विधायक (पानीपत सिटी) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण - "हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की मूलभूत सुविधाएं"

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.) ने शहरी संपदा, पानीपत में सैक्टर-6, 7, 8, 11, 12, 13-17, 18, 24, 25P-I, 25P-II, 29P-I और 29P-II, 40 विकसित किए हैं। तत्पश्चात, सैक्टर-6, 11, 12, 13-17, 25पी-I, 25P-II, 29P-I और 29P-II की सभी सेवाएं (जल-आपूर्ति और सीवरेज को छोड़कर) नगर निगम, पानीपत को हस्तांतरित कर दी गईं थी और इन सेवाओं का रख-रखाव वर्तमान में नगर निगम, पानीपत द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त सैक्टरों की जल-आपूर्ति व सीवरेज सेवाओं के अलावा ह.श.वि.प्रा. द्वारा सैक्टर-29 में 21-21 एम.एल.डी. क्षमता के दो सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र तथा जल-घर का रख-रखाव व संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सैक्टर-7-8, 18, 24 और 40 (भाग) में सभी सेवाओं का रख-रखाव ह.श.वि.प्रा. द्वारा किया जा रहा है। सैक्टर-6 में 0.8 एम.एल.डी. व सैक्टर-19 (गाँव भैंसवाल के नजदीक) में 30 एम.एल.डी. क्षमता के मल-जल शोधन संयंत्रों का रख-रखाव व संचालन भी ह.श.वि.प्रा. द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्त जल-आपूर्ति का रख-रखाव ह.श.वि.प्रा. द्वारा आंशिक रूप से अपने कर्मचारियों के माध्यम से व आंशिक रूप से कार्य को ठेके पर देकर करवाया जा रहा है। ह.श.वि.प्रा. के कार्यक्षेत्र में आने वाली बाकी सेवाओं का रख-रखाव कार्य को ठेके पर देकर करवाया जा रहा है।

विकास कार्यों के पूर्ण होने के बाद सेवाओं का दस वर्ष तक रख-रखाव ह.श.वि.प्रा. के अधिदेश में है क्योंकि ह.श.वि.प्रा. द्वारा केवल दस वर्ष के लिए रख-रखाव का खर्च वसूला जाता है। तत्पश्चात इन सेवाओं का रख-रखाव स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किया जाना होता है।

इन सभी सेवाओं का रख-रखाव एक ही विभाग अर्थात नगर निगम, पानीपत को हस्तांतरित करना संभव है। इस तरह का प्रस्ताव, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा अनुमोदन के बाद 3 से 6 महीने के भीतर लागू हो जाने की संभावना है।

<u>पैड के लिए टिप्पणी</u>

तारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या *41 (डायरी संख्या *14/16/623) - प्रमोद कुमार विज विधायक (पानीपत सिटी) द्वारा पूछा गया - "हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की मूलभूत सुविधाएं"

पानीपत की अंतिम विकास योजना-2021 हरियाणा सरकार (नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग) द्वारा अधिसूचना संख्या सीसीपी (एनसीआर) / एफडीपी / पीएन / पीसीए / 2006 / 3936 दिनांक 18.12.2006 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। इस विकास योजना के अनुसार 42.53% क्षेत्र को आवासीय श्रेणी के तहत उपयोग करने का प्रस्ताव है, जबकि 24.10%, 7.37%, 3.74%, 4.18% का उपयोग क्रमशः औद्योगिक, परिवहन एवं संचार, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जाना प्रस्तावित है। शेष क्षेत्र सार्वजनिक उपयोगिताओं, खुले स्थानों और विशेष क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.) ने शहरी संपदा, पानीपत में सैक्टर-6, 7, 8, 11, 12, 13-17, 18, 24, 25P-I, 25P-II, 29P-I और 29P-II, 40 विकसित किए हैं। तत्पश्चात, सैक्टर-6, 11, 12, 13-17, 25पी-I, 25P-II, 29P-I और 29P-II की सभी सेवाएं (जल-आपूर्ति और सीवरेज को छोड़कर) नगर निगम, पानीपत को हस्तांतरित कर दी गईं थी और इन सेवाओं का रख-रखाव वर्तमान में नगर निगम, पानीपत द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त सैक्टरों की जल-आपूर्ति व सीवरेज सेवाओं के अलावा ह.श.वि.प्रा. द्वारा सैक्टर-29 में 21-21 एम.एल.डी. क्षमता के दो सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र तथा जल-घर का रख-रखाव व संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सैक्टर-7-8, 18, 24 और 40 (भाग) में सभी सेवाओं का रख-रखाव ह.श.वि.प्रा. द्वारा किया जा रहा है। सैक्टर-6 में 0.8 एम.एल.डी. व सैक्टर-19 (गाँव भैंसवाल के नजदीक) में 30 एम.एल.डी. क्षमता के मल-जल शोधन संयंत्रों का रख-रखाव व संचालन भी ह.श.वि.प्रा. द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्त जल-आपूर्ति का रख-रखाव ह.श.वि.प्रा. द्वारा आंशिक रूप से अपने कर्मचारियों के माध्यम से व आंशिक रूप से कार्य को ठेके पर देकर करवाया जा रहा है। ह.श.वि.प्रा. के कार्यक्षेत्र में आने वाली बाकी सेवाओं का रख-रखाव कार्य को ठेके पर देकर करवाया जा रहा है।

विकास कार्यों के पूर्ण होने के बाद सेवाओं का दस वर्ष तक रख-रखाव ह.श.वि.प्रा. के अधिदेश में है क्योंकि ह.श.वि.प्रा. द्वारा केवल दस वर्ष के लिए रख-रखाव का खर्च वसूला जाता है। तत्पश्चात इन सेवाओं का रख-रखाव स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किया जाना होता है। गुरूग्राम और फ़रीदाबाद में भी इसी पद्दति का पालन किया जा रहा है। गुरुग्राम में सैक्टरों की सभी आंतरिक सेवाओं (जल-आपूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी और सड़कों) का रख-रखाव नगर निगम के अधीन है और बाहरी सेवाओं (जल-आपूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी और सड़कों) का रख-रखाव जी.एम.डी.ए. के अधीन है। इसी प्रकार, फ़रीदाबाद में सभी सैक्टरों (सैक्टर-75 से 89 को छोड़कर) की आंतरिक सेवाओं (जल-आपूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी

और सड़कों) का रख-रखाव नगर निगम, फ़रीदाबाद द्वारा किया जा रहा है, जबकि बाहरी सेवाएं (जल-आपूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी और सड़कों) का रख-रखाव एफ.एम.डी.ए. द्वारा किया जा रहा है। सैक्टर-75 से 89 में सभी प्रकार की जल-आपूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी और सड़कों के रख-रखाव का कार्य एफ.एम.डी.ए. द्वारा किया जा रहा है। सैक्टर-75 से 89 में कुछ सीवरेज लाइनों का रख-रखाव ह.श.वि.प्रा. द्वारा भी किया जा रहा है। जल्द ही इन लाइनों को एफ.एम.डी.ए. को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

इन सभी सेवाओं का रख-रखाव एक ही विभाग अर्थात नगर निगम, पानीपत को हस्तांतरित करना संभव है। इस तरह का प्रस्ताव, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा अनुमोदन के बाद 3 से 6 महीने के भीतर लागू हो जाने की संभावना है।